प्रेषक,

श्रम आयुक्त, उ0प्र0,
जी0 टी0 रोड,
कानपुर।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त।
2. समस्त सम्भागीय उप निदेशक, कारखाना, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक, कारखाना, उ0प्र0।

पत्र संख्या: 1280-1493 /प्रवर्तन-स्वप्रमा0/2013 दिनांक 09 मई 2013

विषय : अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के क्रियान्वयन हेतु कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में सम्बन्धित शासन के पत्र संख्या: 1820/36-3-12 दिनांक 30 अक्टूबर 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नई अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के बिन्दु संख्या-3.1.1(2) में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक इकाईयों यथा - कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में श्रम कानूनों के [illegible] व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रकिया का निर्धारण किया गया है।

शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के कम में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं -

1. प्रदेश में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों द्वारा निर्धारित विवरण-पत्र **प्रपत्र-"ए"** पर एव प्रदेश के समस्त पंजीकृत कारखानों द्वारा निर्धारित विवरण-पत्र **प्रपत्र-"बी"** पर प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालय में [illegible] किया जाएगा। वर्ष, 2012 के सम्बन्ध में यह प्रपत्र 15 मई, 2013 तक [illegible]

2. उपर्युक्त निर्धारित प्रपत्र-"ए" एवं "बी" श्रम आयुक्त संगठन की विभागीय वेवसाईट- **labour.up.nic.in** से भी डाउनलोड किया जा सकते हैं।

3. कारखानों से प्राप्त विवरण-पत्रों का परीक्षण करके श्रमिकों की संख्या के आधार पर अधिकतम से प्रारम्भ कर प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत कारखानों के विवरणों का भौतिक सत्यापन एक संयुक्त टीम द्वारा विवरण-पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर किया जाएगा। इस संयुक्त टीम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त, सहायक निदेशक/उप निदेशक कारखाना की संयुक्त टीम, सम्बन्धित कारखाने के वरिष्ठ प्रबन्धन प्रतिनिधि तथा यथासम्भव श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन का प्रतिनिधि, जो प्रतिष्ठान का श्रमिक भी हो, की उपस्थिति में किया जाएगा। कारखानों के निरीक्षण/सत्यापन के सम्बन्ध में रोस्टर का निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं उप निदेशक कारखाना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और निरीक्षण/सत्यापन की तिथि की सूचना सम्बन्धित इकाई को कम से कम 07 दिन पूर्व उपलब्ध करायी जाएगी।

4. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों से निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्राप्त विवरण-पत्रों का परीक्षण कर श्रमिकों की संख्या के आधार पर अधिकतम से प्रारम्भ कर प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के विवरणों का भौतिक सत्यापन एक संयुक्त टीम द्वारा विवरण-पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर किया

जाएगा। इस संयुक्त टीम में 01 सहायक श्रम आयुक्त एवं न्यूनतम 02 श्रम प्रवर्तन अधिकारी सम्मिलित होंगे विवरणों के आधार पर सत्यापन/निरीक्षण नियोजक/मालिक/आकूपायर की उपस्थिति में ही किया जाएगा एवं निरीक्षण/सत्यापन की तिथि की सूचना सम्बन्धित इकाई को कम से कम 07 दिन पूर्व उपलब्ध करायी जाएगी।

5. जिन कारखानों/दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों द्वारा निर्धारित समयावधि 31 जनवरी तक (वर्ष 2012 के लिए 15 मई, 2013) निर्धारित प्रपत्र पर विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं, तो सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त/उप निदेशक कारखाना द्वारा उक्त स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्र में स्थित सेवायोजकों के संगठन के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए उन्हें विवरण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए एक और अवसर दिया जाएगा, किन्तु विस्तारित अवधि में भी विवरण-पत्र प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित जिले/मण्डल के जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त से अनुमोदन/पूर्व अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

6. जिन कारखानों तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों से वार्षिक विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर प्राप्त होंगे और भौतिक निरीक्षण/सत्यापन में यदि अनुपालन शत-प्रतिशत पाया जाता है तो इन इकाईयों को ग्रीन-कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा और इन इकाईयों को ग्रीन-कार्ड जारी होने की तिथि से आगामी 05 वर्षों तक निरीक्षण से छूट प्राप्त होगी।

7. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र-"सी" पर तथा कारखानों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र-"डी" पर ग्रीन-कार्ड क्रमशः क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं उप निदेशक कारखाना द्वारा जारी किये जाएंगे।

8. जिन इकाईयों के वार्षिक विवरणों के आधार पर निरीक्षण/सत्यापन के समय अनुपालन में कोई कमियाँ पायी जाती हैं तो उनके निराकरण हेतु उक्त औद्योगिक इकाई को अनुपालन हेतु एक माह का समय प्रदान किया जाएगा। यदि ये उल्लंघन मात्र तकनीकी अथवा लघु हैं तथा वर्तमान विधिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत उपशमन योग्य हैं, तो सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उनका उपशमन कर दिया जाएगा। यदि एक माह की अवधि में भी इन इकाईयों द्वारा पायी गयी कमियों का अनुपालन संतोषजनक रूप से नहीं किया जाता है और पाये गये उल्लंघन वृहद एवं गम्भीर हों तो इकाई को सचेत करते हुए प्रबन्धन के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु यथासम्भव यह प्रयास किया जाए कि सम्बन्धित इकाई द्वारा उक्त उल्लंघन को दूर करते हुए अनुपालन कर दिया जाए। अभियोजन की कार्यवाही केवल अन्तिम विकल्प के रूप में ही अपनायी जाएगी।

9. इकाईयों से प्राप्त विवरणों का सत्यापन/निरीक्षण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी उद्यमियों/प्रबन्धकों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करें एवं उन्हें सम्बन्धित श्रम कानूनों के प्राविधानों की आवश्यक जानकारी देते हुए उन्हें अनुपालन करने हेतु उत्प्रेरित करें।

10. उद्यमियों को अनुपालन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सेवायोजकों के संगठनों, औद्योगिक संगठनों, व्यापार मण्डलो के सहयोग से स्थानीय स्तर पर गोष्ठियाँ आयोजित की जाएं, जिसमें उन्हें नई अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति-2012 के अंतर्गत लिये गये उपरोक्त निर्णयों एवं व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाए और इन संगठनों का सहयोग श्रम कानूनों के प्राविधानों के अनुपालन हेतु प्राप्त किया जाए।

11. जिन इकाईयों द्वारा शासन/विभाग द्वारा अनुमोदित तीसरी पार्टी(आई0एस0ओ0/ओ0एच0एस0ए0एस0-1800/एस0ए0-8000 या अन्य कोई मानक का सामाजिक आडिट) से जाँच के प्रमाण-पत्र जिन कारखानों/औद्योगिक इकाईयों द्वारा विभाग को प्रस्तुत किये जाएंगे, की नियमानुसार सम्यक जाँचोपरान्त ऐसे कारखानों को भी प्रमाण की अवधि के लिए निरीक्षण से अवमुक्त रखा जाएगा।

12. उपरोक्त निरीक्षण/सत्यापन की यह प्रक्रिया कारखाना अधिनियम-1948 के अंतर्गत खतरनाक कारखानों तथा भारतीय ब्वायलर अधिनियम-1923 के अंतर्गत लागू नहीं होगी।

13. जो औद्योगिक इकाईयाँ उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करेंगी, उनके लिए सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया शासनादेश संख्या 1810/36-3-12 दिनांक 19 अक्टूबर 2012 के अनुसार यथावत रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उद्यमियों के साथ अमर्यादित/असंयमित व्यवहार करने वाले निरीक्षणकर्ता अधिकारियों एवं उद्यमियों के उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतें सही पाये जाने की दशा में सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अपनायी जाएगी।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः 1280-1493 /प्रवर्तन-स्वप्रमा0/2013 दिनांक 09 मई, 2013

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक, कारखाना/निदेशक, ब्यायलर्स, मुख्यालय, उ0प्र0।
6. समस्त अपर/उप श्रम आयुक्त, मुख्यालय, उ0प्र0।
7. समस्त सेवायोजक संगठन।
8. समस्त केन्द्रीय श्रम महासंघ।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

प्रारूप-''ए''

श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रास्थिति-स्वप्रमाणन

(दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए)

1. अधिष्ठान का नाम व पता : ....
....
....

2. आकूपायर/नियोजक का नाम व निवास का पता : ....
....
....

3. नियोजित श्रमिकों की संख्या -

	पुरूष	महिला
(क) अकुशल	......	......
(ख) अर्द्धकुशल	......	......
(ग) कुशल	......	......
(घ) योग	....	....

4. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पंजीयन संख्या/दिनांक - ....
....

5. [illegible] क्रियाकलाप - ....

6.	क्या श्रमिको की उपस्थिति पंजिका (मस्टर रोल) निर्धारित प्रारूप पर बना हुआ है ?	हाँ	नहीं
7.	क्या श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है ?	हाँ	नहीं
8.	क्या श्रमिकों को वेतन भुगतान से पूर्व वेतन पर्ची दी जाती है ?	हाँ	नहीं
9.	क्या श्रमिकों से निर्धारित कार्य के घण्टों के अनुसार कार्य कराया जाता है ?	हाँ	नहीं
10.	क्या श्रमिकों से ओवर-टाईम कराने पर उन्हें नियमानुसार भुगतान किया जाता है ?	हाँ	नहीं
11.	क्या श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाता है ?	हाँ	नहीं
12.	क्या श्रमिकों को सवेतन निर्धारित छुट्टियाँ दी जाती हैं ?	हाँ	नहीं
13.	क्या अधिष्ठान में कार्यरत महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है?	हाँ	नहीं
14.	क्या महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ की सुविधा दी जाती है ?	हाँ	नहीं
15.	क्या अधिष्ठान में संविदा श्रमिकों का नियोजन किया जाता है ?	हाँ	नहीं
16.	क्या संविदा श्रमिकों का नियोजन करने के लिए प्रतिष्ठान का पंजीयन तथा संविदाकारों द्वारा नियमानुसार लाईसेन्स प्राप्त किया गया है ?	हाँ	नहीं
17.	क्या संविदा श्रमिकों के [illegible] वेतन भुगतान का रजिस्टर नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर रखा जाता है ?	हाँ	नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सही है।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर ....
(आकूपायर/नियोजक)

प्रारूप-''बी''

श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रास्थिति-स्वप्रमाणन

(कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत इकाईयों के लिए)

1. कारखाना/अधिष्ठान का नाम व पता : ....
....
....

2. आकूपायर/नियोजक का नाम व निवास का पता : ....
....
....

3. नियोजित श्रमिकों की संख्या

	पुरुष	महिला
(क) अकुशल	......	.....
(ख) अर्द्धकुशल	......	.....
(ग) कुशल	......	.....
(घ) संविदा श्रमिकों की संख्या	......	.....
(ड.) योग	......	.....

4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन संख्या/दिनांक - ....
....

5. व्यापारिक क्रियाकलाप - ....

6.	क्या श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका (मस्टर रोल) निर्धारित प्रारूप पर बना हुआ है ?	हाँ	नहीं
7.	क्या श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है ?	हाँ	नहीं
8.	क्या श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाता है ?	हाँ	नहीं
9.	क्या श्रमिकों से नियमानुसार ओवर-टाईम कराया जाता है ?	हाँ	नहीं
10.	क्या श्रमिकों को नियमानुसार ओवर-टाईम का भुगतान किया जाता है ?	हाँ	नहीं
11.	क्या श्रमिकों को [illegible] पूर्ण वेतन पर्ची दी जाती है ?	हाँ	नहीं
12.	क्या श्रमिकों से निर्धारित कार्य के घण्टों के अनुसार कार्य कराया जाता है ?	हाँ	नहीं
13.	क्या श्रमिकों को सवेतन निर्धारित छुट्टियाँ दी जाती हैं ?	हाँ	नहीं
14.	क्या कारखाना/अधिष्ठान मे ट्रेड यूनियन गठित है ?	हाँ	नहीं
15.	क्या श्रमिकों को अपनी समस्यायें उठाने का अधिकार प्राप्त है ?	हाँ	नहीं
16.	क्या कारखाना/अधिष्ठिान में कार्यरत महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है?	हाँ	नहीं
17.	क्या महिला श्रमिकों को मातृत्व हितलाभ की सुविधा दी जाती है ?	हाँ	नहीं
18.	क्या कारखाना/अधिष्ठान मे संविदा श्रमिकों का नियोजन किया जाता है ?	हाँ	नहीं
19.	क्या संविदा श्रमिकों का नियोजन करने के लिए प्रतिष्ठान का पंजीयन तथा संविदाकारों द्वारा नियमानुसार लाईसेन्स प्राप्त किया गया है ?	हाँ	नहीं
20.	क्या संविदा श्रमिकों की उपस्थिति/वेतन भुगतान का रजिस्टर नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर रखा जाता है ?	हाँ	नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सही है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

(आकूपायर/नियोजक)

प्रारूप-"सी"

ग्रीन-कार्ड

श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रास्थिति-स्वप्रमाणन

(दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए)

1. अधिष्ठान का नाम व पता : ....
....

2. आकूपायर/नियोजक का नाम व निवास का पता : ....
....

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिष्ठान द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति, 2012 के बिन्दु [illegible] में स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में जारी शासनादेश संख्या: 1820/36-3-12 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में श्रम कानूनों के अनुपालन की स्व-प्रमाणित प्रास्थिति दिनांक .... को प्रस्तुत की गयी। स्व-प्रमाणित प्रास्थिति को भौतिक सत्यापन दिनांक .... में सही पाया गया।

अतः उक्त प्रतिष्ठान को, **प्रमाण-पत्र/ग्रीन-कार्ड जारी करने के दिनांक से अगले 05 वर्षों के लिए**, श्रम आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवर्तित कराये जाने वाले श्रम से सम्बन्धित कानूनों के नियमित निरीक्षणों से मुक्त किया जाता है।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर ....
नाम.........................
(क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त)

प्रारूप-''डी''

ग्रीन-कार्ड

श्रम कानूनों के अनुपालन की प्रास्थिति-स्वप्रमाणन

(कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत इकाईयों के लिए)

1. कारखाना/अधिष्ठान का नाम व पता : ....
....

2. आकूपायर/नियोजक का नाम व निवास का पता : ....
....

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रतिष्ठान द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक नीति, 2012 के बिन्दु संख्या-3.1.1(2) में स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में जारी शासनादेश संख्या: 1820/36-3-12 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में श्रम कानूनों के अनुपालन की स्व-प्रमाणित प्रास्थिति दिनांक .... को प्रस्तुत की गयी। स्व-प्रमाणित प्रास्थिति को भौतिक सत्यापन दिनांक .... में सही पाया गया।

अतः उक्त कारखाने को, **प्रमाण-पत्र/ग्रीन-कार्ड जारी करने के दिनांक से अगले 05 वर्षों के लिए**, श्रम आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रवर्तित कराये जाने वाले श्रम से सम्बन्धित कानूनों के नियमित निरीक्षणों से मुक्त किया जाता है।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर ....,
नाम........................
(सम्भागीय उप निदेशक कारखाना)